रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15072021-228304
CG-DL-W-15072021-228304

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, जुलाई 4— जुलाई 10, 2021, शनिवार/ आषाढ़ 13 — आषाढ़ 19, 1943
No. 10] NEW DELHI, JULY 4— JULY 10, 2021, SATURDAY/ASHADHA 13 — ASHADHA 19, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.नि.आ.19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा (उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 का उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सैनिक इंजीनियर सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक और कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक के पदों पर भर्ती की पध्दति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियर सेवा, ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक और कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगें।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न उसका वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पध्दति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**— उक्त पद पर भर्ती की पध्दति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबध्द करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक सहायक	3021* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (₹ 25500-81100)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालिस वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के

					लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र,अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2:** उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। **अथवा** **टिप्पण 3:** भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।	नहीं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति 65 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा । **सीधी भर्ती** 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900 – 63200 रू.) में ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक में से 65 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- (1) मुख्य इंजीनियर या उसकी नामनिर्देशती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का न हो - अध्यक्ष; (2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य – सदस्य; (3) समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका उस विभाग से संबधं न हो – सदस्य । **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-** (1) मुख्य इंजीनियर या उसकी नामनिर्देशती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का न हो -अध्यक्ष; (2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य – सदस्य; (3) समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका उस विभाग से संबधं न हो – सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक	2862* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर –02 (₹ 19900 - 63200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालिस वर्ष तक की जा सकती है ।

					टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र,अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2:** उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। **अथवा** **टिप्पण 3:** भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी में टंकण या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ टंकण परीक्षा उर्तीण होनी चाहिए। (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 की डिप्रेशन पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा / 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के समरुप क्रमश: 35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट)	हां, स्तंभ (10) में उपदर्शित सीमा तक ।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(10)	(11)
(i) 65 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति सह-पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा । (iii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा। (iv) 5 प्रतिशत समूह 'ग' गैर औद्योगिक कर्मचारीयों या बहु- कार्यकर्मचारिवृंद में से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा । **टिप्पण**: यदि खंड (iii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा ऐसे अधिक कर्मचारी परीक्षा अर्हित करते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तयों को भरने के लिए विचार किया जायेगा ताकि पूर्व परीक्षा अर्हित कर रहे कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जाए, जो बाद में परीक्षा अर्हित करते हैं ।	**(i) प्रतिनियुक्ति सह-पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए):** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक पर भी विचार किया जाएगा जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं हों, यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है । **(ii) सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति:** 10 प्रतिशत रिक्तयां, समूह 'ग' गैर औद्योगिक कर्मचारिवृंद या बहु-कार्यकर्मचारिवृंद के बीच में से, जो वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 (₹18000-56900) में हों तथा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जायेंगी। **टिप्पण:** परीक्षा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) **(iii) प्रोन्नति:** 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' गैर औद्योगिक या बहु-कार्यकर्मचारिवृंद में से ज्येष्ठता-सह उपयुक्ता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 (₹18000-56900) में उन पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं हो, पर भी विचार किया जाएगा। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होनें अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):- (1) मुख्य इंजीनियर या उसकी नामनिर्देशती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का न हो -अध्यक्ष; (2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य – सदस्य; (3) समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका उस विभाग से संबधं न हो – सदस्य । **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):-** (1) मुख्य इंजीनियर या उसकी नामनिर्देशती जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की	लागू नहीं होता।

पंक्ति से कम का न हो - अध्यक्ष; (2) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य – सदस्य; (3) समूह 'क' सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका उस विभाग से संबधं न हो – सदस्य ।	

[फा. सं. पीसी.IV बी./75014/ क्लेरिकल कैडर/आर आर अमेंडमेंट/ सी.एस.सी.सी./143/2021/र.(नि.)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st July, 2021

S.R.O. 19.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Military Engineer Services (Upper Division Clerk and Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Administrative Assistant and Junior Administrative Assistant in the Ministry of Defence, Military Engineer Services, namely:-

1.**Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services, Senior Administrative Assistant and Junior Administrative Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix**.- The number of the said post, their classification level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

6. **Power of relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Administrative Assistant	3021* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Ministerial	Level 4 in the pay matrix (₹ 25500-81100)	Non-selection	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in case of

					general candidates and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. **Note 2:** In respect of posts the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names. or **Note 3:**The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission in case recruitment is being done by Staff Selection Commission.

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelors degree from a recognised University.	No	Two years for direct recruits.	**Promotion** 65 percent by promotion, 25 percent by promotion through limited departmental competitive examination. **Direct recruitment** 10 percent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) 65 percent by promotion from amongst Junior Administrative Assistant level2 in the pay matrix (₹19900--63200) with minimum eight years of regular service in the grade failing which by direct recruitment, (b) 25 percent by promotion through limited departmental competitive examination of such Junior Administrative Assistant who have rendered five years regular service in the grade failing which by direct recruitment, **Note**: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent -Chairman; (2) Executive Engineer or equivalent - Member; (3) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department -Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent -Chairman; (2) Executive Engineer or equivalent - Member; (3) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Administrative Assistant	2862* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level2 in the pay matrix (₹19900 - 63200)	Non-selection	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in case of general candidate and upto the

					age of forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. **Note 2**: In respect of posts the appointments to which are made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names; or **Note 3:**The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by Staff Selection Commission in case recruitment is being done by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass from a recognised Board. (ii) Should pass type writing in English with a minimum speed of 35 words per minute or in Hindi with a minimum speed of 30 words per minute	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years for direct recruits.	(i) 65 percent by direct recruitment. (ii) 20 percent by deputation cum re-employment (for Ex-servicemen). (iii) 10 percent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour / 9000 Key Depressions Per Hour on a average of five key depression for each word).			(iv) five percent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from Group 'C' (Non-industrial or Multi Tasking Staff employees. **Note**.- If more of such employees than the number of vacancies available under clause (iii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(11)	(12)	(13)
(i) Deputation cum Re-employment :- (for Ex-servicemen) The Armed Forces personnel having the requisite qualifications as prescribed for direct recruits under column (7) shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. **(ii) Promotion through limited departmental examination**: 10 percent of vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Non-industrial staff or Multi Tasking Staff with Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess 12th Class pass from recognised Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. **Note:** The maximum age-limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Schedule Castes and the Schedule Tribes). **(iii) Promotion**: Five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' Non-industrial or Multi Tasking Staff employees who have three years regular service in the posts with the Level1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and having the requisite qualifications as prescribed for direct recruits under column (7) shall also be considered.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent -Chairman; (2) Executive Engineer or equivalent - Member; (3) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Chief Engineer or his nominee not below the rank of Superintending Engineer or equivalent -Chairman; (2) Executive Engineer or equivalent - Member; (3) Group 'A' Civilian Gazetted officer or a Commissioned officer not connected with the Department -Member.	Not applicable.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. PC-IV.B/75014/Clerical Cadre/RR Amdt/CSCC/143/2021/D (Appts)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.नि.आ. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिलिट्री इंजीनियर सेवा (गैर औद्योगिक वर्ग III और वर्ग IV पद) 1970, मिलिट्री इंजीनियर सेवा (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 1979, मिलिट्री इंजीनियर सेवा (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1989 और रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियर सेवा समूह 'घ' (चौकीदार) भर्ती नियम 2006, जहां तक ये पद दफ्तरी, रिकॉर्ड की पर, फेरोप्रिंटर, चौकीदार, चपरासी, माली, सफाईवाला तथा अन्य सभी भूतपूर्व समूह 'घ' गैर औद्योगिक श्रेणियां का उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियरी सेवा, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पदों पर भर्ती की पध्दति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियर सेवा, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति, –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	22984* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीयसेवा, समूह‘ग’,अराजपत्रित,अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर -01 (18,000-56,900)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच । यदि भर्ती प्रक्रिया आखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा की जा रही है, उक्त दशा में आयु-सीमा18 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य होगी। (ऊपरी आयु-सीमा सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पण 1**:आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तिथि होगी,न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल देश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्ययम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:**भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघं लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) :-** (1) अधीक्षण अभियंता या समतुल्य – अध्यक्ष; (2) अधिशाषी अभियंता या समतुल्य – सदस्य; (3) असैनिक राजपत्रित अधिकारी या कमीशंड अधिकारी जिसका विभाग से संबधं न हो –सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पीसी -1/75002/आर. आर./एम. टी. एस./ग्रुप सी/नॉन-इंड/सी.एस.सी.सी./142/2021/D (Appts)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 1st July, 2021

S.R.O. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Non-Industrial Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970; the Military Engineer Services (Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules 1979; the Military Engineer Services Group 'C' posts Recruitment Rules 1989 and the Ministry of Defence, Military Engineer Services, Group 'D' (Chowkidar) Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the post of Daftry, Record Keeper, Ferro Printer, Chowkidar, Peon, Mali, Safaiwala and all other erstwhile Group 'D' Non-Industrial categories, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Military Engineer Services, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services, Multi Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification, level in the Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

5. **Power of relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	22984* (2021) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial	Level-1 in the pay matrix (18,000-56,900)	Not applicable	Between 18 and 25 years. In case of post being filled up by all-India open competition, it would be between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in case of candidates from employment exchange shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Matriculation or equivalent pass from a recognised Board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Superintendent Engineer or equivalent – Chairman; (2) Executive Engineer or equivalent – Member; (3) Civilian Gazetted officer or commissioned officer not connected with the department - Member.	Not applicable.

[F. No. PC- 1/75002/RR/MTS Gp 'C'/Non-Ind/CSCC/142/2021/D(Appts)]

DEVENDRA KUMAR,Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना में रसोईया विशेष श्रेणी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, रसोईया विशेष श्रेणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रसोईया विशेष श्रेणी	138* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹ 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹ 25500-81100) में ऐसे रसोईया श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी, कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय **- अध्यक्ष;** (2) विशेषज्ञ निदेशालय (संगठन निदेशालय) का प्रतिनिधि जो विंग कमांडर या समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वायुसेना मुख्यालय, स्थापन से संबंधित न हो **- सदस्य;**	लागू नहीं होता।

कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	(3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय **- सदस्य** । **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** :- (1) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निदेशक रैंक के अधिकारी, कार्मिक सिविलियन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय **- अध्यक्ष**; (2) विशेषज्ञ निदेशालय (संगठन निदेशालय) का प्रतिनिधि जो विंग कमांडर या समतुल्य रैंक से नीचे का न हो और वायुसेना मुख्यालय, स्थापन से संबंधित न हो **- सदस्य**; (3) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय **- सदस्य** ।	

[फा.सं. वा. से. मु. /23049/आर आर/कुक्स/पी सी (आर आर और खेलकूद)/141/र. (नि.)]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd June, 2021

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cook Special Grade in the Indian Air Force, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force, Cook Special Grade (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix** .—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** .— No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cook Special Grade.	138* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs 35400- 112400)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	100 per cent. by promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Persons having ten years of regular service in the Cook Grade I in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100) rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note** : Where the juniors who have completed their qualifying of eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:- (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters - **Chairperson;** (2) Representative of specialist Directorate, (Directorate of Organisation) not below the rank of Wing Commander or equivalent and unconnected with the Establishment, Air Headquarters. - **Member;** (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters. -**Member.** **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of**:- (1) Officer of the rank of Director of Armed Forces Headquarters Civil Service, Directorate of Personnel Civilians, Air Headquarters - **Chairperson;** (2) Representative of specialist Directorate, (Directorate of Organisation) not below the rank of Wing Commander or equivalent and unconnected with the Establishment, Air Headquarters. - **Member;** (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters. –**Member.**	Not applicable.

[F. No. Air HQ/23049/RRs/Cooks/PC (RRs & Sports)/141 /D (Apptts.)]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.15 15:00:57 +05'30'